"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 228] रायपुर, शनिवार, दिनांक 23 जून 2018 — आषाढ़ 2, शक 1940

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 जून 2018

अधिसूचना

क्रमांक-एफ 4-20/2018/56/इ. सू. प्रौ. — राज्य शासन एतद्द्वारा, भारत सरकार के ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (ओपन एपी आई) नीति के अनुरूप "छत्तीसगढ़ शासन के लिए ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) पर नीति" निम्नानुसार अधिसूचित करता हैं -

प्रस्तावना -

डिजिटल इंडिया के अत्यंत महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन का बहुत से चैनलों जैसे वेब, मोबाईल, और सामान्य सेवा प्रदायगी आउटलेट के जरिए नागरिकों को सभी सरकारी सेवाएं डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना है. इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए डेटा, अनुप्रयोगों और प्रक्रियाओं के एक अंतर प्रचालनीय पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता है जो सही समय पर यही प्रयोक्ता को सही सूचना उपलब्ध कराएगा.

इस दिशा में त्वरित प्रगति करने के प्रयोजन से राज्य शासन ने बहुत से नीतिगत प्रयास शुरू किए है, जिनमें मिशन मोड परियोजनाओं (एमएमपी) का कार्यान्वियन शामिल है. सेवा प्रदायगी को गुणवत्तायुक्त बनाने एवं प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए विभिन्न ई-शासन प्रणालियों के बीच अंतरप्रचालनीयता एक महत्वपूर्ण पूर्व अर्हता है. यह सरकारी संगठनों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स सेवा प्रदायगी के लिए एकल खिड़की संकल्पना को प्रभावशील बनाने के प्रयोजन से भी आवश्यक है.

विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों के बीच सॉफ्टवेयर की अंतरप्रचालनीयता के लिए मुक्त मानकों को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार ने "ई-शासन के लिए मुक्त मानकों पर नीति" और "ई-शासन के लिए अंतरप्रचालनीयता ढांचे पर तकनीकी मानक" पहले ही अधिसूचित कर दिए है. "मुक्त सरकार" पर वैश्विक स्तर पर किए जा रहे प्रयासों के अंतर्गत सरकारी संगठनों द्वारा एकत्र की गई सूचना के आसानी से अभिगम के लिए मुक्त एपीआई पर जोर दिया जा रहा है.

इस संदर्भ में कई लाभों के बावजूद भी ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) का प्रावधान करने हेतु राज्य में सरकारी संगठनों के लिए नीति तैयार करने की आवश्यकता है. छत्तीसगढ़ शासन के लिए मुक्त एपीआई पर नीति" (जिसे यहां से आगे "नीति" के रूप में संदर्भित किया गया है) से सरकारी संगठनों में मुक्त एपीआई के औपचारिक इस्तेमाल को प्रोत्साहन मिलेगा. इस नीति के अंतर्गत सभी ई-शासन अनुप्रयोगों और प्रणालियों के लिए सॉफ्टवेयर की अंतरप्रचालनीयता को बढ़ावा देने और नागरिकों सहित सभी पणधारकों की प्रतिभागिता बढ़ाने के लिए डेटा और सेवाओं का अभिगम प्रदान

करने हेतु "मुक्त एपीआई" के इस्तेमाल पर सरकार की पहल निर्धारित की गई है.

1. **नीति के उद्देश्य -**

इस नीति के उद्देश्य निम्नानुसार है :

1.1 यह सुनिश्चित करना कि सभी ई-शासन अनुप्रयोगों और प्रणालियों के लिए सभी सरकारी संगठनों द्वारा एपीआई प्रकाशित किये जाएं.

1.2 अन्य ई-शासन अनुप्रयोगों और प्रणालियों के साथ त्वरित और पारदर्शी एकीकरण को समर्थ बनाना.

1.3 विभिन्न ई-शासन अनुप्रयोगों और प्रणालियों के बीच सूचना और डेटा को सुरक्षित और विश्वसनीय ढंग से साझा कर प्रभावशाली बनाना.

1.4 जनता को ई-शासन अनुप्रयोगों और प्रणालियों से डेटा की उपलब्धता के जरिए नवोदभव को बढ़ावा देना और उसमें तेजी लाना.

1.5 सरकारी संगठनों को इन मुक्त एपीआई के विकास, प्रशासन, कार्यान्वियन और इस्तेमाल में मार्गदर्शन प्रदान करना.

2. **परिभाषाएं -**

2.1 **एपीआई** : एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) शब्द का अर्थ उस क्रियाविधि से है जो किसी प्रणाली या सेवा को दूसरी प्रणाली या सेवा द्वारा प्रदत्त डेटा या प्रकार्यात्मकता तक अभिगम की अनुमति देता है. आमतौर पर एपीआई का इस्तेमाल दूसरी प्रणालीयों पर कुछ कार्रवाई प्रवर्तित करने या अन्य प्रणालियों पर कुछ अन्य कार्रवाई करने के लिए प्रणाली पर सीधे विशिष्ट सूचना के साथ संपर्क (जैसे प्रश्न, सूची, खोज, कभी-कभी प्रस्तुत करना तथा अद्यतन करना) के लिए किया जाता है.

2.2 **डोमेन** : डोमेन किसी सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अंतर्गत एक उप-श्रेणी है, "डोमेन" के अंदर विशिष्ट प्रयोजन को "क्षेत्र" के रूप में जाना जाता है. उदाहरण के लिए "वेब प्रकाशन सामग्री के लिए दस्तावेज का प्रकार" "प्रस्तुतीकरण" डोमेन के अंतर्गत एक क्षेत्र है.

2.3 **सरकारी संगठन** : इस नीति के प्रयोजन के लिए किसी सरकारी संगठन से आशय केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर सभी मंत्रालयों/ विभागों/कार्यालयों/संविधिक निकायों/स्वायत्तशासी निकायों से है. वाणिज्यिक सेवाओं की पेशकश करने वाले सरकारी संगठनों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है.

2.4 **ई-शासन** : एक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण जिसमें सरकार तथा नागरिक और अन्य पणधारक सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी टूल्स का इस्तेमाल करने अपने सभी कार्यकलापों या एक हिस्से को संपादित करने में समर्थ हों.

2.5 **प्रणालियां** : परस्पर सम्पर्क, परस्पर संबंधी, या एक दूसरे पर निर्भर घटकों के एक समूह से पूरा एक कॉम्प्लेक्स बनता है. सूचना प्रणाली जनता, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, संचार उपकरणों, नेटवर्क तथा डेटा संसाधानों का एक सामिश्रण है जो विशिष्ट प्रयोजन के लिए डेटा और सूचना को संसाधित (संग्रह, पुन:प्राप्ति, सूचना को परिवर्तित करना) करता है.

2.6 **परम्परागत प्रणाली** : एक पुरानी पद्धति, प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर प्रणाली या अनुप्रयोग कार्यक्रम जिसका इस्तेमाल विशेषरूप से इसलिए निरंतर किया जाता है कि क्योंकि अब नवीनतम प्रौद्योगिकी या किसी कार्य को निष्पादित करने के लिए अधिक सक्षम पद्धतियां होने के बावजूद भी यह प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं के लिए अभी भी कार्य करती है.

2.7 **परम्परागत प्रणाली का नया संस्करण** : परम्परागत प्रणाली जिसमें प्रकार्यात्मक परिवर्तनों, वास्तुकला संबंधी परिवर्तनों, प्रौद्योगिकी परिवर्तनों, भंडारण प्रक्रिया में परिवर्तन, डिजाईन कार्यान्वियन संबंधी परिवर्तनों आदि जैसी रिइंजीनियरिंग के कारण बड़े रूपांतरण परिवर्तन हुए हैं.

2.8 **ओपन एपीआई** : ओपन एपीआई वह एपीआई है जिसे दूसरी प्रणालियों को उस प्रणाली के साथ सम्पर्क करने के लिए प्रतिपादित किया गया है. ओपन एपीआई को या तो होस्ट अनुप्रयोग के साथ एकीकृत किया जा सकता है या यह सॉफ्टवेयर का एक अतिरिक्त हिस्सा हो सकता है जो किसी स्वामित्व वाले एपीआई को ओपन एपीआई के बराबर प्रकट करता है. जहां कहीं भी संभव हो, ओपन एपीआई प्रभार मुक्त और पुन: प्रयोग तथा संशोधनों के प्रतिबंधों से मुक्त हो.

2.9 **ई-शासन के लिए खुले मानकों संबंधी नीति** : ई-शासन के लिए खुले मानकों संबंधी नीति में बहु एजेंसियों द्वारा विकसित प्रणालियों के बीच परस्पर संबंध बढ़ाने के लिए मानकों के चयन हेतु एक ढांचे का प्रावधान है. यह https://egovstandards.gov.in/sites/default/files/Policy/Policy%20Open%20Standards/Policy on Open Standards for e-Governance Ver 1.0.pdf पर उपलब्ध है.

2.10 **ई-शासन के लिए अन्तरप्रचालनीयता ढांचे संबंधी तकनीकी मानक** : इस दस्तावेज में ई-शासन के लिए खुले मानकों संबंधी नीति के अनुसार शामिल क्षेत्रों में ई-शासन अनुप्रयोग के लिए अपनाए जाने हेतु तकनीकी मानक निर्धारित किए गए हैं. ये https://egovstandards.gov.in/sites/default/files/Published_Standards/Technical%20Standards%20for%20IFEG/Technical_Standards_for IFEG Ver 1.0.pdf पर उपलब्ध है.

2.11 **राष्ट्रीय डेटा में साझाकरण और अभिगम्यता नीति (एनडीएसएपी-2012)** : इस नीति का उद्देश्य भारत सरकार के स्वामित्व वाले साझा करने योग्य डेटा तक अभिगम को भारत सरकार की विभिन्न संबंधित नीतियों, अधिनियमों तथा नियमों के ढांचे के अंतर्गत सकारात्मक और आवधिक रूप से अद्यतन की जाने वाली विधि से पूरे देश में एक नेटवर्क के जरिए मानव द्वारा पठनीय और मशीन द्वारा पठनीय दोनों रूपों में सरल बनाना है जिससे कि डेटा और सूचना की व्यापक अभिगम्यता और इस्तेमाल की अनुमति प्रदान की जा सके. यह http://ogpl.gov.in/NDSAP/NDSAP-30Jan2012.pdf पर उपलब्ध है.

2.12 **राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013** : इस नीति का उद्देश्य साइबर स्पेस में सूचना और सूचना अवसंरचना की सुरक्षा करना, संस्थागत ढांचों, जनता, प्रक्रमों, प्रौद्योगिकी और सहयोग के मिले-जुले प्रयासों से साइबर खतरों को रोकने और उनके प्रयोत्तर की क्षमता का निर्माण करने के लिए नाजुकता कम करना और क्षति न्यूनतम करना है. यह http://deity.gov.in/content/national-cyber-security-policy-2013-1 पर उपलब्ध है.

3. नीतिगत विवरण

छत्तीसगढ़ शासन, विभिन्न सरकारी संगठनों द्वारा कार्यान्वित अन्य ई-शासन अनुप्रयोगों और प्रणालियों के साथ त्वरित और पारदर्शी एकीकरण को समर्थ बनाने के लिए मुक्त एपीआई अपनाएगी, इस प्रकार समुदायों के लाभार्थ नागरिकों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी और डेटा तथा सेवाओं का अभिगम प्रदान किया जाएगा. मुक्त एपीआई में प्रकाशन और खपत के लिए निम्नलिखित विशेषताएं होंगी -

3.1 सभी सरकारी संगठनों द्वारा अपने संगत ई-शासन अनुप्रयोगों के जरिए उपलब्ध कराई जा रही संगत सूचना सभी के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध होगी और मशीन के जरिए उसे पढ़ा जा सकेगा.

3.2 किसी सरकारी संगठन की सभी उपयुक्त सूचना और डेटा राष्ट्रीय डेटा साझाकरण और अभिगम्यता नीति (एनडीएसएपी-2012) में किए गए वर्गीकरण के अनुसार मुक्त एपीआई द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी ताकि जनता सूचना ओर डेटा का अभिगम कर सके.

3.3 निर्मित किए गए सभी मुक्त एपीआई और उपलब्ध डेटा के लिए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति का अनुपालन किया जाएगा.

3.4 सरकारी संगठन यह सुनिश्चित करेंगे कि मुक्त एपीआई स्थायी और आरोहय हों.

3.5 किसी सरकारी संगठन के ई-शासन अनुप्रयोग अथवा प्रणाली में सभी संगत सूचना, डेटा और क्रियाविधियां मुक्त एपीआई के जरिए अन्य ई-शासन अनुप्रयोगों और प्रणालियों को उपलब्ध कराई जाएंगी, जो प्लेटफार्म और भाषा की दृष्टि से स्वतंत्र होंगी.

3.6 ऐसा सरकारी संगठन, जो मुक्त एपीआई का इस्तेमाल करते हुए अन्य ई-शासन अनुप्रयोगों और प्रणालियों से डेटा और सूचना का उपयोग करता है, वह एपीआई प्रकाशित करने वाले संगठन द्वारा यथापरिभाषित प्रक्रिया के जरिए सूचना का रखरखाव, अधिप्रमाणन और उसके लिए प्राधिकार प्रदान करेगा.

3.7 किसी सरकारी संगठन का प्रत्येक प्रकाशित एपीआई जहां तक संभव होगा अन्य सरकारी संगठनों और जनता को नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा.

3.8 प्रत्येक प्रकाशित एपीआई का नमूना कोड और पर्याप्त सूचना के साथ उचित ढंग से प्रलेखीकरण किया जाएगा जिससे कि विकासकर्ता एपीआई का इस्तेमाल कर सकें.

3.9 मुक्त एपीआई का जीवन चक्र एपीआई प्रकाशित करने वाले सरकारी संगठन द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा. एपीआई कम से कम दो पूर्ववर्ती संस्करणों के साथ पहले से अनुकूल (बेकवर्ड कम्पेटिबल) होगा.

3.10 निर्मित सभी मुक्त एपीआई प्रणालियों और उपलब्ध कराए गए डेटा के लिए भारत सरकार की सुरक्षा नीतियों ओर दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाएगा.

3.11 सेवा की अंतरप्रचालनीयता और एकल साइन-ऑन सुविधा को समर्थ बनाने के लिए सरकारी संगठन एक अधिप्रमाणन तंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं.

4. **अनुपालन की प्रकृति -**

इस नीति का अनुपालन अनिवार्य है.

5. **लागू होना -**

यह नीति केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के अंतर्गत उन सभी सरकारी संगठनों पर लागू होती है जो ई-शासन प्रणालियों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए इस नीति को अपनाने का चयन करेंगे -

- कार्यान्वयन के लिए विचारार्थ सभी नए ई-शासन अनुप्रयोग और प्रणालियां
- पारंपरिक और विद्यमान प्रणालियों के नए संस्करण

6. **कार्यान्वयन तंत्र -**

6.1 राज्य शासन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग नीति को त्वरित और प्रभावी रूप से अपनाने के लिए विस्तृत कार्यान्वयन दिशानिर्देश तैयार करेगी.

6.2 सरकारी संगठन एपीआई प्रकाशित करेंगे ताकि जनता ई-शासन अनुप्रयोगों और प्रणालियों से संबंधित सूचना का अधिगम कर सकें.

6.3 सरकारी संगठन अपने ई-शासन अनुप्रयोगों और प्रणालियों के साथ एकीकरण के लिए एपीआई प्रकाशित करेंगे.

6.4 सरकारी संगठन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा मुक्त मानकों पर तैयार संदेश गेटवे के जरिए अन्य विभागों के ई-शासन अनुप्रयोगों और प्रणालियों के साथ एकीकरण करेंगे.

6.5 सरकारी संगठन एपीआई विकसित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे.

6.6 राज्य शासन इस नीति और इसके उपबंधों के कार्यान्वयन को सरल बनाने के लिए एक कार्यान्वयन समिति गठित करेगी.

6.7 राज्य शासन एपीआई प्रबंध को प्रभावशाली बनाने के लिए उपयुक्त सहायता तंत्र की स्थापना करेगी.

6.8 ई-शासन अनुप्रयोगों और प्रणालियों का कार्यान्वयन करते समय सभी सरकारी संगठनों द्वारा एपीआई को जनता और अन्य संगठनों के लिए प्रकाशित करने हेतु प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरपीएफ) में विशेष आवश्यकता अवश्य शामिल की जाना चाहिए.

7. **नीति की समीक्षा**

आवश्यक होने पर राज्य शासन के पास नीति की समीक्षा और संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है.

८. **संपर्क बिन्दु**

छत्तीसगढ़ शासन के लिए ओपन एपीआई संबंधी नीति से संबंधित सभी प्रश्नों और टिप्पणियों को सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी को भेजा जाएगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय शुक्ला, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.